भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GD 976052

24 APR 2023

NOTARY

Reg. No 20941

GOVT. OF INDIA

298

स्टाम्प विक्रय तिथि 28 - 8 - 23

स्टाम्प क्रय करने का प्रायोजन

स्टाम्प क्रेता का पूरा पता — श्री रुक्मिणी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एवं

स्टाम्प की धनराशि — 100/-

स्टाम्प विक्रेता का नाम

गोविन्द गौतम

स्टाम्प विक्रेता

[illegible] ३० / १ [illegible]

**(प्रारूप- "अ")**

## सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप-

हम कालीचरन एवं खुशीराम भारद्वाज क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री राम कन्या शिक्षा प्रसार समिति, खैर, अलीगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्री खुशीराम कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी ,खैर डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है /
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्री खुशीराम कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी ,खैर में गाटा संख्या **2552,2626,2629,2630,2631,2668,2554,2398,2414,2628** के रकबा **0.461** हेक्टेयर (कुल रकबा **8.376** हेक्टेयर) भूमि है /
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है , और भूमि विवाद रहित है /
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **2552,2626,2629,2630,2631,2668,2554,2398,2414,2628** के रकबा **0.461** हेक्टेयर (कुल रकबा **8.376** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक **15/06/2020** द्वारा पारित किया गया है /
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है /
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है /
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही सञ्चालन किया जाएगा /
8. यह कि, इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से संबद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा /
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से संबद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतरिक्त किसी अन्य परिषद्/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित /संबद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय/महाविद्यालय/आई० टी० आई० आदि का सञ्चालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा /
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम , प्रयोगशालाओ, एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा /
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा /
12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा / यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरिक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाति है तो परिषद् की निरक्षण एवं सम्बधना समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा / इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी /
13. मै घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सुचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज़ फर्जी, कुरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी / ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊंगा /

Solemnly Affirmed before me ... identified by ... Contents need of read over ... and admitted on ... correct

ह० प्रबंधक

ह० अध्यक्ष